

पत्र संख्या-पर्या.वन -11/09- 308(ई) प० व०
बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग ।

④

प्रेम्क,

के० के० अश्लेषा,
परामर्शी, पर्यावरण ।

सेवा में,

सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
मुख्य सचिव का जनशिक्षायात कौशल,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक- 27/7/09

विषय:- विकास यात्रा, 2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित
निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंग:- 1. आपका कार्यालय पत्रांक-क शि०को० मु०स०-4/09-1964
दिनांक- 18.6.09

2. मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ सं०-18029/30/200

महेश्वर,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संदर्भ में डा० मुरारी
सुम्न, पिता-स० प्रतादी मंडल, ग्राम-कनकपुर, पो०-धौरी कित्ता, थाना-कलसगाँव
जिला-भागलपुर के आवेदन पत्र पर कृत कार्रवाई पत्र अनुमोदन हेतु संलग्न कर
भेजी जा रही है ।

अनुरोध है कि अनुमोदनोपरान्त इसे विभाग को उपलब्ध कराने की
कृपा की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

द्विवासभोज


27/7/09

के० के० अश्लेषा ।
परामर्शी, पर्यावरण ।

सिंह/



श्री प्रदीप
21/7/09

बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग ।

प्रेम्,

कै० कै० अफैला,
परामर्शी, पर्यावरण ।

सेवा में,

डा० मुरारी युग्म,
उप० डा० जे० पी० निजाद,
ग्राम-कनकपुर। कन्दुआचक।, पो०-धौरी कित्ता,
धौना-कहलगाँव, भया-ईशपुर,
जिला-भक्तपुर, बिहार ।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- बिहार राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि जल प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 4(2)(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष पद हेतु पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव होना आवश्यक है । आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बयौडाला में पर्यावरण संरक्षण संबंधित कोई भी योग्यता नहीं प्रस्तुत की गयी है ।

अतः बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद हेतु आपके नाम पर बिहार नहीं किया जा सकता है ।

विश्वास अर्जन

। कै० कै० अफैला ।
परामर्शी, पर्यावरण ।